चैक लिस्ट

आरोप प्रमाणित न पाये जाने की स्थिति में प्राथमिक जांच रिपोर्ट

1. जांच प्रतिवेदन की मूल प्रति संलग्न कर दी गई है।

2. जांच प्रतिवेदन के साथ लिखित बयान, साक्ष्य आदि की मूल/प्रमाणित प्रतियां सलंग्न कर दी गई है।

3. जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष एवं स्पष्ट अभिमत मेरे द्वारा अंकित कर दिया गया है।

4. शिकायतकर्ता को शिकायत की पुष्टि हेतु दिये गये अवसर का प्रमाण संलग्न है। शिकायतकर्ता से सम्पर्क न हो पाने की स्थिति में जांचकर्ता द्वारा पृथक से सम्पर्क न होने का कारण स्पष्ट करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अपचारी अधिकारी/कार्मिक से आरोपों के संबंध में प्राप्त लिखित अभिकथन संलग्न है।

आरोप प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में प्राथमिक जांच रिपोर्ट व अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव :–

1. अपचारी अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध प्रस्तावित आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र में अपचारी अधिकारी/कार्मिक का पद, कार्यरत स्थान व आरोपों के संबंध में कार्यरत अवधि स्पष्ट रूप से अंकित कर दी गई है।

2. आरोप विवरण पत्र में आरोपों का विस्तृत अंकन कर दिया गया है तथा सीसीए नियम–1958 में प्रस्तावित आरोप/आरोपों में आचरण नियमों के स्पष्ट उल्लघंन का उल्लेख कर दिया गया है।

3. परिशिष्ट ''अ'' के निर्धारित कॉलम में आरोप या इसके भाग को सिद्ध करने वाले प्रमाणित अभिलेख का विवरण मय पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई है।

4. अपचारी अधिकारी/कार्मिक से आरोपों के संबंध में अभिकथन प्राप्त कर परिशिष्ठ ''स'' के कॉलम सं. 3 की पूर्ति कर ली गई है।

5. अपचारी अधिकारी/कार्मिक से आरोप के संबंध में अभिकथन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अपचारी अधिकारी/कार्मिक को प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्ट्री क्रमांक/पावती का प्रमाणित प्रति संलग्न कर दी गई है।

6 .परिशिष्ट ''स'' के कॉलम सं 4 में अपचारी अधिकारी/कार्मिक के अभिकथन से असहमत होने का कारण अंकित कर दिया गया है।

7. परिशिष्ट ''स'' के कॉलम सं 5 में आरोप या इसके भाग को सिद्ध करने वाले अभिलेख का विवरण मय पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई है।

8. परिशिष्ट ''द'' में अपचारी अधिकारी का **जीपीएफ नम्बर व एम्पलोई आईडी** सहित 16 बिन्दुओं की पूर्ति कर दी गई है।

9. निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा चेक लिस्ट, प्राथमिक जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव व आरोपों को पुष्ट करने वाले अभिलेखीय साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित/प्रमाणित कर दिये गयें है।

हस्ताक्षर जांच अधिकारी
मय मोहर

www.rajsevak.com

अभिलेख सूची

क्र.सं.	अभिलेख का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	विस्तृत प्राथमिक जांच प्रतिवेदन	
2	आरोप पत्र	
3	आरोप विवरण पत्र	
4	परिशिष्ट अ	
5	परिशिष्ट ब	
6	परिशिष्ट स	
7	परिशिष्ट द	
8	प्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य क्रमानुसार	

www.rajsevak.com

हस्ताक्षर मय मोहर

नोटः जांच अधिकारी द्वारा अधूरी जांच रिपोर्ट/अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर कारण बताओ नोटिस प्रस्तावित किया जायेगा।

कार्यालय ...., राजस्थान

विस्तृत प्राथमिक जांच प्रतिवेदन

1. जांच परिचय

1	जांच प्रकरण	
2	जांच आदेश क्रमांक	
3	जांच अधिकारी का नाम व पद	
4	शिकायतकर्ता	
5	आरोपी कार्मिक का नाम व पद	
6	जांच की दिनांक	
7	जांच स्थल	
8	शिकायत के बिन्दु	

2. जांच प्रक्रिया का विस्तृत विवरण

3. जांच का निष्कर्ष

हस्ताक्षर मय मोहर

www.rajsevak.com

कार्यालय ....., राजस्थान

श्री .... (नाम, पद, जन्म तिथि एवं पदस्थापन स्थान) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के तहत प्रस्तावित आरोप पत्र

(क्रमानुसार संक्षिप्त में आरोप) :–

1. .....

2. .....

3. .....

www.rajsevak.com

प्रस्तावक

हस्ताक्षर मय मोहर

नोट : आरोप पत्र के प्रारम्भ में अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के आरोपित पद के कार्यकाल की अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जावें।

कार्यालय ....., राजस्थान

श्री .....(नाम, पद, जन्म तिथि एवं पदस्थापन स्थान) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के तहत प्रस्तावित आरोप विवरण पत्र

(आरोप पत्र में प्रस्तावित आरोप/आरोपों का विस्तृत विवरण) :–

1. .....

2. .....

3. .....

www.rajsevak.com

प्रस्तावक

हस्ताक्षर मय मोहर

नोट : 1. आरोप विवरण पत्र के प्रारम्भ में अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के आरोपित पद के कार्यकाल की अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जावें।

2. सीसीए 17 में प्रस्तावित आरोप/आरोपों में आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लेख करें।

कार्यालय ....., राजस्थान

श्री .....(नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के तहत प्रस्तावित

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं	आरोप विवरण पत्र के अनुसार आरोप/आरोप का भाग	इस आरोप या इसके भाग को सिद्ध करने वाले अभिलेख का पूर्ण विवरण मय पृष्ठ संख्या	इस आरोप या इसके भाग को सिद्ध करने वाले गवाह के नाम	विशेष विवरण यदि कोई हो
1	2	3	4	5

प्रस्तावक

हस्ताक्षर मय मोहर

नोट : गवाह न होने की स्थिति में कॉलम संख्या 04 में **"अभिलेख के आधार पर आरोप प्रमाणित पाए गए"** लिखा जावें।

www.rajsevak.com

कार्यालय ...., राजस्थान

परिशिष्ट – ब

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... (नाम, पद, जन्म तिथि एवं पदस्थापन स्थान) के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच के सम्बन्ध में तमाम प्रमाणित अभिलेख एकत्रित कर भिजवाया जा रहा है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अब कोई अभिलेख भिजवाया जाना शेष नहीं है।

प्रस्तावक

हस्ताक्षर मय मोहर

www.rajsevak.com

कार्यालय ....., राजस्थान

श्री .....(नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के तहत प्रस्तावित

परिशिष्ट "स"

आरोप संख्या	आरोप विवरण पत्र के अनुसार आरोप/आरोप का भाग	अपचारी अधिकारी/ कार्मिक का आरोप के बारे में कथन	अपचारी अधिकारी/ कार्मिक से जांचकर्ता के असहमत होने का कारण	अभिलेख का विवरण जिससे आरोप का यह भाग सिद्ध होता है।	आरोप या इसके भाग को सिद्ध करने वाले गवाह के नाम
1	2	3	4	5	6

प्रस्तावक

हस्ताक्षर मय मोहर

नोटः 1. अपचारी से अभिकथन की प्राप्ति न होने की स्थिति में कॉलम संख्या 3 में अपचारी को कार्यालय द्वारा अभिकथन हेतु जारी किये गये पत्र की प्रमाणित पावती/रजिस्टर्ड डाक का क्रंमाक संलग्न कर कॉलम में लिखा जाए की **अपचारी द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया।**

2. सलंग्न सभी दस्तावेज प्रस्तावक (**प्रस्तावक से आशय माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी से है।**) के द्वारा **प्रमाणित अवश्य किये जावें।**

3. गवाह न होने की स्थिति में कॉलम संख्या 04 में "**अभिलेख के आधार पर आरोप प्रमाणित पाए गए**" लिखा जावें।

www.rajsevak.com

कार्यालय ...., राजस्थान

परिशिष्ट 'द'

आरोपित अधिकारी का सेवा विवरण

1	नाम	
2	पदनाम	
3	वर्तमान पदस्थापन	
4	जन्मतिथि	
5	मूल सेवा संवर्ग	
6	जी.पी.एफ खाता संख्या / सीपीएफ	
7	सेवा निवृति तिथि	
8	Employee आईडी	
9	Email ID	
10	MoB. No.	
11	वेतन श्रंखला मय मूल वेतन	
12	वेतन वृद्धि का दिनांक	
13	निलम्बन की स्थिति में 1. निलम्बन की दिनांक 2. बहाली की दिनांक	
14	क्या समान तथ्यों पर कोई फौजदारी प्रकरण लम्बित है, यदि हां तो विवरण – 1. F.I.R. संख्या 2. अन्तर्गत धारा	
15	लम्बित अनुशासनिक जांच कार्यवाही(यों) का विवरण – 1. ज्ञापन क्रमांक 2. दिनांक 3. अनुशासनिक प्राधिकारी 4. वर्तमान स्थिति	
16	पूर्व में कोई दण्ड दिया गया हो तो उसका विवरण – 1. दण्डादेश क्रंमाक / दिनांक 2. अनुशासनिक प्राधिकारी 3. दण्ड का विवरण	

प्रस्तावक

हस्ताक्षर मय मोहर

www.rajsevak.com